

प्रेषक,

राम केवल,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

चन्दौली, पीलीभीत, कुशीनगर, भदोही, फतेहपुर, श्रावस्ती, एटा, आगरा, बरेली एवं गोंडा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में बेमौसम भारी वर्षा/अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में बेमौसम भारी वर्षा / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन रु० 5,74,00,683.00 (रूपये पांच करोड़ चौहत्तर लाख छः सौ तिरासी मात्र) की धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में जनपद के सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी, सभी सम्बन्धितों के साथ कृषि निवेश के अन्तर्गत अनुदान हेतु डाटा फीडिंग का कार्य गुणवत्ता एवं बिना त्रुटि के समस्त डाटा फीड किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर समीक्षा करते रहेंगे, ताकि कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के अन्तर्गत डाटा फेल होने की स्थिति उत्पन्न न हो फीडिंग में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की स्थिति में सम्बन्धित जनपद का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 की धनराशि के वितरण के लिए इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है कि किन्हीं कारणों से फेल डाटा के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान की धनराशि वितरित किये जाने हेतु एन0आई0सी0 के पोर्टल पर उल्लिखित डाटा का पुनः परीक्षण/चेक कराते हुए भुगतान किया जायेगा तथा यू0टी0आर0 अपडेट किया जायेगा। अन्यथा आवंटित धनराशि के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान में की गयी फीडिंग में किसी भी प्रकार की त्रुटि के स्थिति में सम्बन्धित जनपद का उत्तर दायित्व होगा:-

क्रमांक	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	चन्दौली	2022-23	13,18,486.00
2	पीलीभीत	2021-22	1,53,761.00
		2022-23	14,42,858.00
		योग	15,96,619.00
3	कुशीनगर	2021-22	1,64,28,380.00
4	भदोही	2021-22	45,925.00
5	फतेहपुर	2021-22	5,18,856.00
6	श्रावस्ती	2021-22	24,45,283.00
		2022-23	5,64,907.00
		योग	30,10,190.00
7	एटा	2022-23	3,46,372.00
8	आगरा	2022-23	82,824.00
9	बरेली	2021-22	1,74,10,060.00

		2022-23	33,38,295.00
		2023-24	1,32,55,427.00
		योग	3,40,03,782.00
10	गोण्डा	2023-24	49,249.00
		कुल योग	5,74,00,683.00
(रूपये पांच करोड़ चौहत्तर लाख छः सौ तिरासी मात्र)			

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या-437/6 INST/ECI/FUNCT/MCC/2024(MCC ENFORCEMENT) दिनांक 02 जनवरी, 2024 एवं अन्य निर्गत शासनादेशों द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में रितीफ मेजर के सम्बन्ध में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राहत वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग की शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10 (28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है, में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान किया जाय।
- (3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023, जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं, तथा जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा। वर्ष 2023-24 से पूर्व भारत सरकार की जो गाइड लाइन प्रभावी थी, उसके मानक दरों के आधार पर कृषि निवेश अनुदान की गणना करते हुए भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (6) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।
- (7) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा- जोखा रखा जाये तथा माह के अन्त में जो जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा, और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (9) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशियों में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(10) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(11) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 5,74,00,683.00 (रूपये पांच करोड़ चौहत्तर लाख छः सौ तिरासी मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा मद से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231-/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Ram

(राम केवल)

विशेष सचिव।

संख्या - 494 (1)/एक-10-2024-33(36)/2023 , तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- राहत आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-26/03/2024

प्रेषण संख्या:- 494
आवंटन आदेश संख्या:- 003-494
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1318486 50077307	1318486 50077307
	योग	वर्तमान प्रगामी	1318486 50077307	1318486 50077307

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेरह लाख अठारह हजार चार सौ छियासी
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ सतहत्तर हजार तीन सौ सात

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-26/03/2024

प्रेषण संख्या:- 494
आवंटन आदेश संख्या:- 002-494
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	82824 25382824	82824 25382824
2	एटा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	346372 18046372	346372 18046372
3	बरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	34003782 75512086	34003782 75512086
4	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1596619 54471619	1596619 54471619
5	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	518856 50518856	518856 50518856
6	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	49249 20954249	49249 20954249
7	संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	45925 9045925	45925 9045925
8	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	16428380 38928380	16428380 38928380
9	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3010190 15952190	3010190 15952190
	योग	वर्तमान प्रगामी	56082197 308812501	56082197 308812501

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ साठ लाख बयासी हजार एक सौ सत्तानवे

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीस करोड़ अठासी लाख बारह हजार पाँच सौ एक

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन